प्रेस विज्ञप्ति
25.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने प्रभुदास वीरचंद लोटिया एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी करते हुए लगभग 332.24 करोड़ रुपये मूल्य की 02 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा स्थित होटल रंगशारदा तथा मुंबई के प्रभादेवी स्थित एक भूखंड शामिल है, जो मैसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कब्जे एवं नियंत्रण में हैं।

ईडी ने यह जांच मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्रारंभ की। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रभुदास वीरचंद लोटिया एवं मैसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएचएडीए) द्वारा मराठी रंगमंच, साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु रियायती दर पर रंग शारदा प्रतिष्ठान ट्रस्ट को आवंटित भूमि के संबंध में धोखाधड़ी एवं आपराधिक न्यासभंग (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के अपराध किए।

पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच में यह सामने आया कि प्रभुदास वीरचंद लोटिया ने मैसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ट्रस्ट को आवंटित भूमि पर अवैध रूप से नियंत्रण स्थापित कर उसका व्यावसायिक दोहन किया, जो आवंटन की शर्तों एवं नियामकीय स्वीकृतियों के प्रतिकूल था। जांच में यह भी पाया गया कि मैसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आवंटन की शर्तों के अनुसार नाटकगृह एवं कलाकारों के आवास ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं किए, बल्कि आवश्यक वैधानिक अनुमतियां प्राप्त किए बिना उक्त संपत्ति का उपयोग होटल, लॉजिंग हाउस, रेस्तरां, मदिरा बार, बैंक्वेट हॉल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए किया।

इसके अतिरिक्त जांच से यह भी उजागर हुआ कि प्रभुदास वीरचंद लोटिया ने मैसर्स रंग शारदा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ट्रस्ट को आवंटित भूमि पर स्थित व्यावसायिक परिसरों का अनधिकृत रूप से विक्रय कराया तथा उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग मुंबई के प्रभादेवी क्षेत्र में एक अन्य संपत्ति अर्जित करने में किया।

जांच के दौरान अब तक लगभग 512 करोड़ रुपये की अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की पहचान की गई है। इसमें होटल संचालन, लॉजिंग हाउस, रेस्तरां, मदिरा बार, बैंक्वेट सुविधाओं से प्राप्त आय के साथ-साथ किराया एवं अन्य स्रोतों से अर्जित राजस्व भी शामिल है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।